IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति शिक्षकों व अभिभावकों की अभिवृत्ति

डॉ० हरेन्द्र कुमार शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, महाराजा सूरजमल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, भरतपुर (राज०)

भोध सारः–

प्रस्तुत शोध अध्ययन ''निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति शिक्षकों व अभिभावकों की अभिवृत्ति'' का उद्दे"य अध्यापक–अध्यापिकाओं एवं अभिभावकों की निःशुल्क शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का जानकारी प्राप्त करना ताकि सामान्य जन के प्रति सहृदयता विकसित की जा सकती है, जिससे शिक्षा के अधिकार का हनन न हो। सभी दे"ों के विद्यार्थियों लोगों में उनकी संस्कृति मूल्यों तथा जीवन के दारी विकसित करना तथा ि"क्षकों तथा सामान्य व्यक्ति को शिक्षा से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दो का हल ढूँढने मे सहायता प्रदान करना है। प्रस्तुत शोध पत्र में सर्वेक्षण विधि को आधार बनाया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा स्पष्ट है कि निःशुल्क ि"क्षा को पाठ्यक्रम मे अनिवार्य रूप से लागू करके छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराया जा सकेगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य ि"क्षा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक सामर्थ्य के विकास के लिए अनिवार्य है।

मुख्य भाब्दः– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षक, अभिभावक, अभिवृत्ति।

प्रस्तावनाः–

शिक्षा प्रकाश का वह स्त्रोत है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इससे बुद्वि, विवेक, तथा निपुणता में वृद्वि होती है। शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है। जो तत्वों के मूल भाव को समझने की क्षमता प्रदान करती है। इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे– शारीरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विकास आदि। मानव इतिहास के आदि काल से शिक्षा का विभिन्न प्रकार से प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्त करने एवं उसे पूर्ण करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करते है। लेकिन भारत के इतिहास में कभी कभी ऐसा समय आता है। जब अतीत से चलते आ रहे उस सिलसिले को एक नई दिशा देने कि नितांत आवश्यकता रहती है। वर्तमान की जड़े अतीत में विद्यमान है। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्वति आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई थी। उस काल में शिक्षा धर्म के लिए ग्रहण की जाती थी शिक्षा आत्मबोध एवं मुक्ति का साधन थी। वैद्विक काल की शिक्षा ब्राह्मणीय पद्वति पर आधारित थी। ब्राह्मण शिक्षा से जन साधारण को वंचित करने लगे इसके विरोध में बौद्व धर्म का उदय ई. पू. 5वीं शताब्दी में हुआ। लेकिन धीरे धीरे बौद्व धर्म की शिक्षा पद्वति में भी अनेक कमीयां हो गयी बौद्व भिक्षुओ में आपसी वैचारिक भिन्नता उत्पन्न हो गयी जिसमें लोगो का बौद्व शिक्षा से मोह समाप्त होने लगा था। मध्यकाल में मुस्लिमो एवं मुगलों ने शिक्षा का व्यवस्थित प्रचलन किया जो स्थाई संस्थाओ मदरसो एवं मकतबों में दी जाती थी लेकिन वह शिक्षा इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दी जाती थी जिससे हिन्दु जनमानस में अरूचि उत्पन्न हो रही थी।

भारत में निरक्षरता को समाप्त करने एवं विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने के लिए यह जरूरी है कि देश का भावी प्रत्येक बच्चा एवं साथ ही वर्तमान 14 वर्ष तक के ही बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो ताकि वे शिक्षा ग्रहण कर सकें एवं वे भारत के सुनागरिक बन सकें। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अर्थ सामान्यतः यह है कि– ''देश का प्रत्येक बालक एवं बालिका जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के है, उन्हें सरकारी विद्यालयो में बिना पूँजी या शुल्क वसुली के बिना किसी भेद भाव के शिक्षा के शिक्षा प्रदान करना।''

बच्चों की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं प्रजातान्त्रिक राज्य में सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि कमजोर वर्गो के बच्चो को एवं असहायक वर्गो के बालक–बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने की सरकारी नीति बनायी गयी जिसमें 14 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था का अधिनियम दिसम्बर 2008 में राज्य सभा में पारित किया गया एवं भारत के 59 वें गणतन्त्र दिवस 2009 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोडकर सम्पुर्ण देश में लागु किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 1 अप्रेल 2010 से लागू हो गया। शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अशोक सम्पतराव ने 29 मार्च 2011 को दो अधिसूचनाएं भी जारी कर दी। इनके मुताबिक राज्य में स्थित सभी गैर सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें 'दुर्बल वर्ग' व 'अभावग्रस्त' समूह के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी।

शोध कार्य के उद्देश्यः–

1. बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति अभिभावकों कि अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति शिक्षकों कि अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

शोधकार्य की परिकल्पनाएः–

1. बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति अभिभावकों व अध्यापकों कि अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. बच्चों की नि:"ुल्क एवं अनिवार्य ि"क्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के महिला अभिभावक व पुरूष अभिभावकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. बच्चों की नि:"ुल्क एवं अनिवार्य ि"क्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के महिला ि"क्षक व पुरूष ि"क्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. बच्चों की नि:"ुल्क एवं अनिवार्य ि"क्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति शहरी क्षेत्र के महिला अभिभावक व पुरूष अभिभावकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. बच्चों की नि:"ुल्क एवं अनिवार्य ि"क्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति शहरी क्षेत्र के महिला ि"क्षक व पुरूष ि"क्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
6. बच्चों की नि:"ुल्क एवं अनिवार्य ि"क्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के महिला ि"क्षकों व शहरी क्षेत्र के महिला ि"क्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
7. बच्चों की नि:"ुल्क एवं अनिवार्य ि"क्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के पुरूष ि"क्षकों व शहरी पुरूष ि"क्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
8. बच्चों की नि:"ुल्क एवं अनिवार्य ि"क्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के पुरूष ि"क्षकों व शहरी पुरूष ि"क्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
9. बच्चों की नि:"ुल्क एवं अनिवार्य ि"क्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण पुरूष अभिभावक व शहरी पुरूष अभिभावकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध के चरः–

करलिंगर के अनुसारः– ''चर वह गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं।'' ऐसे गुण जिनमें परिवर्तन होता रहता है उन्हें चर कहते हैं। चर दो प्रकार के होते हैं–

1. **स्वतंत्र चरः**– वे चर जिनका कारक रूप में अध्ययन किया जाता है। प्रस्तुत शोध में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को स्वतन्त्र चर के रूप में लिया गया है।
2. **आश्रित चरः**– वे चर जिन पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत शोध में आश्रित चर के रूप में अभिभावक व ि"क्षक की अभिवृति को लिया गया है।

तकनीकी शब्दावलीः– प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त शब्दावली को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है।

निःशुल्क शिक्षाः– ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जहाँ पर बच्चों से किसी प्रकार का शुल्क या पूंजी गृहण न की जाये वह निःशुल्क शिक्षा है।

डॉ. एस.एन. मुखर्जी के अनुसार– ''ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें ज्ञानदाता ज्ञान ग्रहिता से ज्ञान प्रदान के बदले कुछ शुल्क प्राप्त न करे वह निःशुल्क शिक्षा कहलाती है।''

महात्मा गाँधी–''बालक जो अबोध है उसे व्यवहार का ज्ञान प्रदानकर्ता अपने श्रम के बदले बालक या माता पिता से कुछ प्रतिफल ग्रहण न करे वह निःशुल्क शिक्षा है।''

अनिवार्य शिक्षाः– ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें माता पिता का यह दायित्व हो की वह वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चो को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाने के लिए शाला में नामांकित करवाये एवं शाला में शिक्षक उन बच्चों को जिम्मेदारी से शिक्षा प्रदान करे एवं बालक शिक्षा पूर्ण किये बिना कारण अध्ययन न रोके।

गाँधी के अनुसार अनिवार्य शिक्षाः– ''समाज शिक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिसमें अभिभावक नैतिकता के तौर पर अपने बच्चों को जरूर शिक्षालयों में भेजें।''

अभिभावकः– बालक के संरक्षक जो बालक का हर प्रकार से निर्वहन करते हैं।

शिक्षकः– राष्ट्र का निर्माणकर्ता शिक्षण प्रकिया का आधारस्तम्भ तथा शिक्षण व्यवस्था की धुरी शिक्षक कहलाते हैं।

अभिवृत्तिः– मन की वह विशेष वृत्ति जो किसी व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, संस्था या संस्था या विचार के प्रति हमारे आचरण का स्वरूप निर्धारित करती है, जिसके कारण हम इन वस्तुओं के प्रति अपनी कोई विशेष धारणा अथवा विचार बना लेते हैं, अभिवृत्ति कहलाती है।

सार्थकता स्तर निर्धारण व वि"लेशणः–

तालिका संख्या–1

समूह (Group)	N	मध्यमान (M)	प्रमाप विचलन (SD)	T value CR	सार्थकता स्तर
अभिभावक	48	36.73	2.57	0.78	स्वीकृत
अध्यापक	48	3.80	2.50		

बच्चों की निः"ुल्क एवं अनिवार्य ि"क्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति अभिभावकों व अध्यापकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या–2

समूह (Group)	N	मध्यमान (M)	प्रमाप विचलन (SD)	T value CR	सार्थकता स्तर
अभिभावक	48	36.73	2.57	0.78	स्वीकृत
अध्यापक	48	3.80	2.50		

बच्चों की निः"ुल्क एवं अनिवार्य ि"क्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के महिला अभिभावक व पुरूष अभिभावकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध अध्ययन का शैक्षिक निहितार्थः–

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा अध्यापक एवं अध्यापिकाएं निःशुल्क शिक्षा के प्रति जागरूक होकर विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति सार्वभौमिक उत्कण्ठा जाग्रत कर सकेगें।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा सामान्य जन के प्रति सहृदयता विकसित की जा सकती है। जिससे शिक्षा के अधिकार का हनन न हो।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों में सभी दोषों के लोगों, उनकी संस्कृति मूल्यों तथा जीवन के ढंगो के लिए समझदारी विकसित की जा सकेगी।
4. प्रस्तुत शोध अध्ययन से ि"ाक्षकों तथा सामान्य व्यक्ति को शिक्षा से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दो का हल ढूँढने में सहायता मिल सकेगी।
5. प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा निःशुल्क ि"ाक्षा को पाठ्यक्रम मे अनिवार्य रूप से लागू करके छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराया जा सकेगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य ि"ाक्षा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक सामर्थ्य के विकास के लिए अनिवार्य है।

भावी शोध हेतु सुझावः–

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन का बड़ा न्याद"ा लेकर गुजरात प्रान्त के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी प्र"ाासित किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन को अलग–अलग विषयाध्यापकों जैसे सामाजिक विज्ञान के अध्यापक, इतिहास के अध्यापक, विज्ञान के अध्यापक आदि पर किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध को शहरी अध्यापकों व अध्यापिकाओं पर किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत शोध अध्ययन शहरी अभिभावकों पर किया जा सकता है।
5. प्रस्तुत शोध अध्ययन को छात्रअध्यापक व छात्राध्यापिकाओं पर किया जा सकता है।

परिसीमन–

1. प्रस्तुत शोध गुजरात प्रान्त में किया जाएगा।
2. प्रस्तुत शोध मा० शि० बोर्ड गुजरात से सम्बद्ध माध्यमिक विद्यालयों तक सिमित है।
3. प्रस्तुत शोध गुजरात प्रान्त के अहमदाबाद जिले के सरकारी व निजी माध्यमिक विद्यालयों तक सिमित है।

BIBLIOGRAPHY

JOURNALS

1. Bharambe, V.S. & Sharma, S.D.(2013).Education for All: Issues, Challenges and Opportunities. Educationia Confab, 2(4), 214-116.
2. Bordoloi, R. (2011). Challenges in Elementary Education in India: Various Approaches. Journal of Education and Practice, 2(7), 39-45.
3. Chowdhury, R. (2010). "The Road Less Travelled": Article 21a and the Fundamental Right to P Primary Education in India, INJlConLaw 2; (2010) 4 Indian Journal of Constitutional Law 24, p. 24-46. Devan, K. (2011).
4. Development of the Right to Education in India. Indian Journal of Adult Education, 72(2), 93-98.
5. Dinda, M. (2010). Literacy: Is It A Human Right? Anwesa, Vol. 5, 120-127.
6. Jain, P.S. & Dholakia, R.H. (2009). Feasibility of Implementation of Right to Education Act. Economic & Political Weekly, XLIV (25), 38-43.

BOOKS

1. Aggarwal, J. C. (2008). Development and Planning of Modern Education. New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
2. Aggarwl, J. C. & Gupta, S. (2010). Right to Education and Revitalizing Education. New Delhi: Shipra Publication.
3. Babu, J. R. (2009). Universalisation of Elementary Education: A Study of District Primary Education Programme from South India. UK: Cambridge Scholars Publishing.
4. Baneerjee, J.P. (1985). Education in India – Past: Present: Future, Kolkata: Central Library.
5. Basu, B. B. (1994). Human Rights in Constitutional Law. New Delhi: Prentice Hall of India Pvt. Ltd.
6. Basu, B. D. (1935). History of Education in India under the Rule of the East India Company. Calcutta: The Modern Review Office.